संख्या : 637 / XX(4)–26 / उ0 आ0 / 2006 / 09

प्रेषक,

राजीव गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
   उत्तराखण्ड।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।

गृह अनुभाग–4 देहरादून : दिनांक 3 अगस्त, 2010

विषय–उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान जेल गये आन्दोलनकारियों को सुविधायें प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1270 / तीस–2004, दिनांक 11.8.2004 एवं गृह अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या–776 / XX(4)–26 उ0आ0 / 2006, दिनांक 22.10.2008 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। जिसके द्वारा राज्य आन्दोलन के दौरान सात दिन से कम जेल जाने वाले आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में अधिकतम 50 वर्ष की आयु तक नियुक्ति हेतु चयन में 5 प्रतिशत अधिमान दिये जाने तथा 10 अगस्त, 2011 तक के लिए उनको 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान की गयी थी।

2– अतः, उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त गृह अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या–777 / XX(4)-26 उ0आ0 / 2006–08, दिनांक 22.10.2008 के अनुसार चिन्हित सभी राज्य आन्दोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की परिधि में लाये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त शासनादेशों में वर्णित अन्य निर्देश यथावत् रहेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(राजीव गुप्ता),
प्रमुख सचिव।